न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/132/2019	15–10–2019	30–12–2019

1. श्रीमती गुड्डी नायक पत्नि श्री गौरव नायक जाति नायक निवासी बीजवाड तहसील अलवर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर।
2. लेखराम पुत्र सुरजभान जाति चमार निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बहरोड जिला अलवर दिनांक 17.12.17 बाबत इंतकाल संख्या 754 वाके ग्राम भगवाडी खुर्द तहसील बहरोड जिला अलवर।

उपस्थितः–

1.श्री उदय सिंह — एडवोकेट अपीलांट
2.श्री राजेश कुमार गुप्ता — एडवोकेट रैस्पा0 सं0–2

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 17.12.17 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 754 वाके ग्राम भगवाडी खुर्द तहसील बहरोड स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अकित तथ्यों को दौहराते हुयें निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 593/0.74 वाकै ग्राम भगवाडी खुर्द तहसील बहरोड को विक्रेता प्रताप सिंह पुत्र विक्रम सिंह जाति चमार निवासी बालपुरा तहसील बहरोड द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 17.3.17 को अपीलान्ट को कर दिया गया। उक्त आराजी पर अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज है, उपरोक्त खरीद शुदा भूमि में विक्रेता एवं अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त आधिपत्य नहीं है। विक्रेता ने रैस्पा0 संख्या 2 से साजिश करके बेईमानी पूर्वक अपने आपको अवैध लाभ प्राप्त करने के लिये तथा अपीलान्ट को अवैध हानि पहुचाने के लिये बेची गयी आराजी का दुबारा बिना अधिकार एक गलत झूँठा गैर कानूनी कपट पूर्वक अपीलान्ट की उक्त आराजी की भूमि को अपनी आराजी बताकर फर्जी विक्रय पत्र रैस्पा0 संख्या 2 के नाम दिनांक 11.12.17 को धोखे से करा दिया है, जबकि रैस्पा0 संख्या 2 को किसी प्रकार का कोई अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं हो सकते है। तहत अदालत ने बिना अधिकारी गैरकानूनी रूप से अपीलान्ट के हक हकूको के विरूद्व रैस्पा0 संख्या 2 के पक्ष में विवादित इंतकाल संख्या 754 दिनांक 17.12.17 स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को इंतकाल कार्यवाही का कोई नोटिस नहीं दिया और अपीलान्ट के पीछे गुपचुप में बिना सुनवाई का मौका दिये ही स्वीकार कर लिया गया। विक्रेता ने दिनांक 17.3.17 को अपीलान्ट के पक्ष में कराये गये विक्रय पत्र में अपनी उम्र 33 वर्ष बताई और करीब नो माह

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

बाद कराये गये पश्चातवर्ती फर्जी विक्रय पत्र में अपनी उम्र 40 वर्ष अंकित की है, जो अपने आप में फर्जीवाडा एवं धोखाधडी साबित करती है। दिनांक 17.3.17 को अपीलान्ट के पक्ष कराया गया दस्तावेज विक्रय पत्र जो वसीका के रजिस्टर में संख्या 463 पर दर्ज है तथा पश्चातवर्ती फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 11.12.17 भी विक्रेता ने रजिस्टर संख्या 958 में दर्ज है जो एक ही वसीका महेश कुमार यादव ने लिखवाया गया है। अपीलान्ट ने दिनांक 17.3.17 को उक्त वर्णित आराजी अपने नाम पंजिबद्व करा लिया और इंतकाल मेरे नाम हो जावेगा, अपीलान्ट 15 माह शारिरीक रूप से एवं मानसिक रूप से काफी परेशान हो रही थी इस कारणवश राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित नही करवा सकी। दिनांक 12.6.18 को मौके पर आई तो उसको गांव के लोगों से जानकारी हुई की उक्त आराजी रैस्पा0 सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में नाम हो गया। दिनांक 13.6.18 को विवादित इंतकाल संख्या 754 की नकल प्रार्थना पत्र पेश किया और नकल दिनांक 18.6.18 को विवादित इंतकाल की नकल प्राप्त होने पर फर्जकारी व धोखाधडी की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलान्ट ने अधिवक्ता से कानूनी सलाह करके बिना देरी यह अपील पेश की है उक्त आदेश दिनांक 17.12.17 की जानकारी दिनांक 12.6.18 को राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 18.6.18 मिलने पर हुई इसलिये आदेश दिनांक 17.12.17 से जानकारी दिनांक 12.6.18 तक की अवधि धोखे के कारण जानकारी नही होने से अपील दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है प्रकरण में जो देरी हुई उसे कान्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत का अपीलीय निर्णय निरस्त किया जावें। अपने कथन की पुष्टी में फर्द सूची के साथ नकल चार्जशीट, नकल तहरीर, नकल एफ0 आई0 आर0, नकल फर्द गिरफ्तारी, बयान 161 की सत्यप्रति पेश की।

विद्वान वकील रैस्पा0 संख्या 2 ने अपनी बहस में अपील में अकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुयें निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल खोला गया है तहत अदालत द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई। रैस्पा0 संख्या 2 ने विवादित आराजी जरिये विक्रय पत्र से क्रय की है जिसका प्रतिफल विक्रेता को दे दिया गया था। विक्रय पत्र को उप पंजीयक बहरोड द्वारा तस्दीक किया गया है जिसमें प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा देने का अंकन किया है। विवादित विक्रय पत्रों के निरस्तीकरण करने हेतु पृथक से वाद चल रहा है जो सक्ष्य न्यायालय में भी विचाराधीन है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। अपील जानबूझकर मियाद बाहर पेश की है। विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण स्पष्ट नहीं किया गया है जबकि विलम्ब को माफ कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे। अपने कथन की पुष्टी में न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम–1 बहरोड जिला अलवर में विचाराधीन दीवानी वाद की प्रति पेंश की।

हमनें बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 17–12–17 के विरूद्ध दिनांक 25–06–18 को पेश की है तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 18–6–2018 को होना जाहिर करते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर विलम्ब को माफ करने का निवेदन किया है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्टने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलान्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 593/0.74 वाकै ग्राम भगवाडी खुर्द तहसील बहरोड को विक्रेता प्रताप सिंह पुत्र विक्रम सिंह जाति चमार निवासी बालपुरा तहसील बहरोड द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 17.3.17 को अपीलान्ट को कर दिया गया। उक्त आराजी पर अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज है, उपरोक्त खरीद शुदा भूमि में विक्रेता एवं अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त आधिपत्य नहीं है। विक्रेता ने रैस्पा0 संख्या 2 से साजिश करके बेईमानी पूर्वक अपने आपको अवैध लाभ प्राप्त करने के लिये तथा अपीलान्ट को अवैध हानि पहुचाने के लिये बेची गयी आराजी का दुबारा बिना अधिकार एक गलत झूॅठा गैर कानूनी कपट पूर्वक अपीलान्ट की उक्त आराजी

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

की भूमि को अपनी आराजी बताकर फर्जी विक्रय पत्र रैस्पा0 संख्या 2 के नाम दिनांक 11.12.17 को धोखे से करा दिया है, जबकि रैस्पा0 संख्या 2 को किसी प्रकार का कोई अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा उठाये गये तर्क पर तहत अदालत के अपीलीय निर्णय का अवलोकन किया गया। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया जिसमें अंकित किया है रिपोर्ट पटवारी व जॉच आई0एल0आर0 के आधार पर इंतकाल स्वीकार किया गया है। दौराने बहस यह सामने आया कि विवादित विक्रय पत्र के निरस्तीकरण हेतु सक्ष्य न्यायलय में वाद विचाराधीन है वाद विचाराधीन रहते हुए विक्रय पत्र निरस्त करने या शून्य करने का अधिकार इंतकाल की अपील में इस न्यायालय को नहीं है। विवादित आराजी का विक्रय हो चुका है व अधिकारों की घोषणा के संबंध में सक्ष्य न्यायाल में वाद विचाराधीन है जिसमें अधिकार तय होने है। इंतकाल की कार्यवाही फिसीकल प्रोसेडिंग है, इस में किसी के अधिकार तय नही होते अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के जरिये ही होता है। जो पक्षकारान में मध्य चल रहा है जिसमें अधिकार तय होने है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बहरोड को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक **30–12–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर